कार्यालय, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868–241441, फैक्स 241080 ई–मेलः ddpkanker01@gmail.com

//ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

क्रमांक/1211/उ.सं./पंचा.स्था./2025–26 कांकेर, दिनांक 12/11/2025

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/3640(A) पंग्राविवि/22/2008 दिनांक 29.08.2008, छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा– 1092/पंग्राविवि/22/2015/162 नया रायपुर दिनांक 16.04.2015 एवं संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, भू –तल, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/पंचा. –337/सचिव स्था./2024/519 अटल नगर दिनांक 18.09.2024 एवं अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/2858/2024/22–1 अटल नगर दिनांक 14.07.2025 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु निर्धारित सेवा शर्तो के अधीन संशोधित निर्धारित योग्यता रखने वाले उ.ब. कांकेर जिले के उम्मीदवारों से विहित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 05/12/2025 को समय 5.30 बजे तक आंमत्रित किए जाते है। पदों का विवरण एवं आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

रिक्त पदों की संख्या	अनु. जाति					अनु. जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग
18	0	0	0	0	0	5	3	1	1	10	3	0	0	0	3	4	1	0	0	5

मु. = मुक्त, महि. = महिला, भू.पू.सै. = भूत पूर्व सैनिक, यो. = योग

आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकण्डरी (10+2) बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एकवर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। विस्तृत विज्ञापन नियम एवं शर्ते तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला पंचायत कांकेर जिले के जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट www.kanker.gov.in पर देखा जा सकेगा।

टीपः– आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868–241441, फैक्स 241080 ई–मेलः ddpkanker01@gmail.com

// विज्ञापन //

क्रमांक/1209/उ.सं./पंचा.स्था./2025–26 कांकेर, दिनांक 12/11/2025

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/3640 (A) पंग्राविवि/22/2008 दिनांक 29.08.2008, छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा– 1092/पंग्राविवि/22/2015/162 नया रायपुर दिनांक 16.04.2015 एवं संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, भू –तल, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/पंचा. –337/सचिव स्था./2024/519 अटल नगर दिनांक 18.09.2024 एवं अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/2858/2024/22–1 अटल नगर दिनांक 14.07.2025 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) पद हेतु निर्धारित सेवा शर्तो के अधीन संशोधित निर्धारित योग्यता रखने वाले उ.ब. कांकेर जिले के उम्मीदवारों से विहित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 05/12/2025 तक समय 5.30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आंमत्रित किए जाते है। स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होंगे। पदों का विवरण एवं आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार है:–

रिक्त पदों की संख्या	अनु. जाति					अनु. जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग	मु.	महि.	भू.पू.सै.	निःशक्त	योग
18	0	0	0	0	0	5	3	1	1	10	3	0	0	0	3	4	1	0	0	5

टीप :– उपरोक्त पदों में कमी या बढोत्तरी का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। जिसके लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

मु. = मुक्त, महि. = महिला, भू.पू.सै. = भूत पूर्व सैनिक, यो. = योग

वेतनमान 3500 – 10000 में ग्रेड वेतन 1100

1. शैक्षणिक अर्हताएँ :–
   (1) ग्राम पंचायत सचिव के नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकण्डरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी।
   (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एकवर्षीय डिप्लोमा।
2. चयन प्रकिया :–
   (1) प्रमाण पत्र, आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता (मेरिट) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

(a) हायर सेकण्डरी के अंको का अधिभार	–	50 प्रतिशत
(b) उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम	–	10 अंक (स्नातक –5 अंक/ स्नातकोत्तर –05 अंक)
(c) कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको का अधिभार	–	25 प्रतिशत
(d) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	–	10 अंक
(e) रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का अधिभार	–	05 अंक (प्रत्येक वर्ष 01 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, एक वर्ष = न्यूनतम 09 माह का कार्यानुभव)

Scanned with OKEN Scanner

3. मूल निवासी :-

(1) आवेदक को कांकेर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व – प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

4. आयु सीमा :-

(1) विज्ञापन जारी तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.वर्ग, निःशक्तजन,भू.पू.सै. तथा महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।

(2) महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

5. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-

(1) आवेदन पत्र जिला पंचायत कांकेर द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो, शैक्षणिक अर्हता, विवाह प्रमाण पत्र (वैकल्पिक) तथा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व – प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत कांकेर एवं संबंधित जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर देखा जा सकेगा।

(2) आरक्षित वर्ग के लिए पदों में भर्ती हेतु आवेदकों एवं उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

(3) सभी प्रमाण पत्र छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में न होने पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4) आवेदन पत्र में अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूण एवं असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) आवेदन तिथि को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(6) शासन के प्रचलित एवं संशोधित सभी नियम लागू होगें।

(7) पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

(8) विज्ञापन के शर्ते को संशोधन कभी भी परिवर्तनीय है।

6. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-

(1) सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कार्यालय जिला पंचायत,उ.ब. कांकेर** (छ.ग.) पिन कोड – 494334 के नाम से दिनांक 05/12/2025को सायं 5.30 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन के लिए **कार्यालय जिला पंचायत,उ.ब. कांकेर** उत्तरदायी नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई –मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेगें एवं आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(2) वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।

7. अन्य शर्तें :-

(1) छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 द्वारा शास्ति होगें।

(2) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देय कर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(3) लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(4) ग्राम पंचायत सचिव के वेतन मान 3500–10000 में ग्रेड वेतन 1100 रूपये पर वर्तमान में मंहगाई भत्ता नियमानुसार देय होगा।

Scanned with OKEN Scanne

(5) अपूर्ण रूप से भर गए या बिना सहपत्रों के आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
(6) भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कार्यालय जिला पंचायत,उ.ब. कांकेर के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा।
(7) नि: शक्तता के आरक्षण के संबंध में ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होगें जो कम से कम 40 प्रतिशत, संगत नि:शक्तता से ग्रस्त हो इसके लिए उन्हें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नि:शक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(8) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी 06 माह पूर्व जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र का कार्यालय द्वारा जारी जावक कमांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो।
(9) पूर्व नियोजित किंतु किसी आरोप के आधार पर पदच्युत किए गए कर्मी/कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगें।
(10) कौशल परीक्षा हेतु 01 पद के विरूध्द 05 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार प्रवर्गवार बुलाया जायेगा।
(11) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से दो जीवित संतान है तथा अगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताए भी लागू होगी।
(12) चयनित ग्राम पंचायत सचिव को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया जावेगा जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा यदि ग्राम पंचायत सचिव का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
(13) शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
(14) शैक्षणिक योग्यता में अंकित प्राथमिकता का अभिप्रायः मेरिट सूची में समान अंक आने पर प्राथमिकता का लाभ (जन्मतिथि के आधार पर) दिए जाने से होगा।
(15) जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
(16) प्रत्येक पद के लिए 20 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
(17) आवेदक/आवेदिका के विरूध्द कोई दंडित प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
(18) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिध्द दोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वणित हो अपात्र होगा।
(19) यदि वह महिलाओं के विरूध्द प्रताड़ना के किसी अपराध के लिए सिध्द दोष ठहराया गया हो, अपात्र होगा।
(20) आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत कांकेर, जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/भानुप्रतापपुर/दुर्गूकोंदल/अंतागढ/कोयलीबेड़ा के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट www.kanker.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।
(21) ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति के संबंध में विवाद के लिए विभाग प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर (नियोक्ता) का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

/पं./ 2025–26

प्रतिलिपि :–

कांकेर, दिनांक 11/11/2025

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभाग आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, पंचायत जिला उ.ब. कांकेर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय उ.ब.कांकेर की ओर सूचनार्थ।
7. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ। दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ। जिले के वेबसाइट **www.kanker.gov.in** में विज्ञापन अपलोड करने की कार्यवाही करेगें।
9. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

//ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप//
(आवेदक के द्वारा स्वयं भरा जावें)

प्रति,

अभ्यर्थी स्व-प्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

01. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (अ) हिन्दी में :-..

(ब) अंग्रेजी में :-..

02. पिता/पति का नाम :-..

03. लिंग (महिला/पुरूष) :-..

04. जन्म तिथि (अ)(अंको में) :-..

(ब)(शब्दों में) :-..

(स) दिनांक 01.01.2025 को आयु :- वर्ष .... माह .... दिन.................

(द) जन्म स्थान :-..

05. वर्ग सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. :-..

06. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :-..

....

....

....

07. स्थायी पता (हिन्दी में) :-..

....

....

....

08. मोबाईल नंबर :-..

09. आधार नंबर :-..

10. ई – मेल आई-डी :-..

11. रोजगार कार्यालय का नाम :-..

जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक :-..

(सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते हैं :-..
(हॉ/नहीं) यदि हॉ तो किस श्रेणी से उल्लेख करें

13. क्या आवेदक कांकेर जिले का मूल निवासी है (हॉ/नहीं) :-..

(यदि हॉ तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं छानबीन समिति द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) – ....

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्रप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाई स्कूल						
2	हायर सेकेण्डरी						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	पी.जी.डी.सी.ए. /डी.सी.ए.						
6	ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा						

16. रोजगार सहायक का अनुभवः–

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्यावधि		
				दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

(टीपः– कुल अनुभव अवधि का अनुभव सह वेतन पत्रक संलग्नकिया जाना अनिवार्य है।)

17. क्या आवेदक विकलांग है (हां/नही) – ....

(यदि हां तो, विकलांग संबंधी जिलामेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

18. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं (हां/नहीं) – ....

(यदि हां तो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

19. क्या आवेदक विवाहित हैं (हां/नहीं) – ....

यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि ....

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत् है(हां/नही) ....

(यदि हां तो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रतिसंलग्न करें)

21. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

....

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक: ....

स्थान: ....

....

आवदेक के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम एवं पता)

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....

....

आवदेक के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम एवं पता)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला ...... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ....
आत्मज / आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....